



सं०सं०-02 / 2014 / टी०यू० / 488 / 2017

दिनांक 18.05.17

### अल्पकालीन निविदा सूचना

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, द्वारा पर्यटकों के उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल एजेन्सी/अधिकृत फर्म इन्पेनलमेन्ट हेतु निविदा आमंत्रित करती हैं।

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, के माध्यम से पर्यटकों के उपयोग के लिए वातानुकूलित वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए निगम द्वारा निबंधित ट्रेवल एजेन्सी/अधिकृत फर्म के माध्यम से वाणिज्यिक वाहन प्राप्त किए जाएंगे। वाहन का प्रकार इटियस, इण्डिका, इण्डिगो, स्कॉरपियो, इनोभा, टाटा विंगर होन्डा सिटी आदि इसी श्रेणी के अन्य वाहन होंगे।

1. निविदा का प्रपत्र एवं निविदा नियमावली रू० 1000/- (रू० एक हजार) भुगतान कर होटल कौटिल्य विहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना के काउन्टर से दिनांक 20.05.2017 के अपराह्न 2:00 बजे से प्राप्त किया जा सकता है या इसे निगम के वेबसाइट [www.bstdc.bih.nic.in](http://www.bstdc.bih.nic.in) से भी Download किया जा सकता है। निविदा निर्धारित अर्नेस्ट मनी पटना के लिए रू० 15,000=00 (पन्द्रह हजार रू०) जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, के नाम से भुगतये स्थल, पटना के साथ दिनांक 03.06.2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है, निविदा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष महाप्रबंधक के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।
2. किसी भी/सभी ऑफरों को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर दर वार्ता करने का अधिकार पूर्णतया प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।

ह०/-

(केशव रंजन प्रसाद)  
प्रबंध निदेशक

वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत फर्म/ट्रैवल एजेंसी/टूर ऑपरेटर के माध्यम से (गाड़ी, तेल, ड्राइवर अन्य सभी खर्च एवं सभी कर सहित) भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र

## निविदा नियमावली

### ऑफर समर्पित करने की प्रक्रिया:

निविदा निर्धारित प्रपत्र (इस नियमावली के साथ संलग्न) में मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जायेगा एवं लिफाफे पर निविदादाता का पूर्ण पता अंकित किया जायेगा, लिफाफे में निम्नवत् रूप से कागजात समर्पित किया जायेगा।

- **तकनीकी निविदा :-** तकनीकी निविदा से संबंधित संलग्न प्रपत्र में सभी कॉलम को भरकर मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना है। इस मुहरबंद लिफाफे के उपर तकनीकी निविदा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना है। होटल कौटिल्य विहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना के काउन्टर से दिनांक 03.06.2017 के अपराहन 2:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है या इसे निगम के वेबसाइट [www.bstdc.bih.nic.in](http://www.bstdc.bih.nic.in) से भी Download किया जा सकता है। इस प्रपत्र में जितने भी कागजात माँगे गये हैं सभी की छायाप्रति/अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है। प्रत्येक निविदा के साथ पटना के लिए रू० 15,000=00 (पन्द्रह हजार रू०) अर्नेस्ट मनी की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०," भुगतये स्थल पटना के नामे संलग्न किया जाना है। अगर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया गया है तो निविदा के साथ अग्रधन की राशि के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र फीस रू० 1,000/- की राशि भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से BSTDC के नाम Payble at Patna जमा करना होगा।
- **वित्तीय निविदा :-** प्रपत्र - II (वित्तीय निविदा) में दर भरा जाना है। निविदादाता वाहन का दर वाहन श्रेणीवार समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा किस दर पर पर्यटन निगम को यान उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रपत्र को एक अलग लिफाफा में भरकर एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे में भर कर जमा किया जाएगा।

निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 03.06.2017 को 3:00 बजे अपराहन है। निविदा उसी दिन 4.00 बजे अपराहन निविदादाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

### निविदा की नियम एवं शर्तें:

1. निगम के द्वारा निविदादाता से भाड़े पर यान की आपूर्ति, प्राप्त करने हेतु निविदा के आधार पर तीन (3) वर्षों के लिए नियमित रूप से तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन के अनुसार एक-एक वर्ष का दो अवधि विस्तार व्यवसायिक रूप से संचालित करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा। इसमें केवल वाणिज्यिक निबंधित वाहन मात्र एक/दो साल पुराना ही स्वीकार की जायेगी। निविदादाता के **विगत तीन वर्षों का Average Turn Over प्रतिवर्ष न्यूनतम 10 लाख रुपये होना चाहिए।**
2. निविदादाता के पास उनके अपने नाम से निजी वाणिज्यिक वाहन एक/दो साल से अनाधिक पुरानी कम से कम 5 (पाँच) निजी वाणिज्यिक वाहन (2013 मॉडल) उपलब्ध होनी चाहिए।

3. भविष्य में निविदादाता द्वारा वाहनों के संचालन क्रम में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो निगम द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए काली सूची में डाल दी जायेगी।
4. निविदादाताओं द्वारा सिर्फ व्यवसायिक लाइसेंस प्राप्त वाहनों की ही आपूर्ति की जायेगी। साथ ही पार्किंग शुल्क, टॉल टैक्स आदि का वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।
5. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किए गए यान के प्रतिदिन के किलोमीटर की गणना बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के कार्यालय से प्रारम्भ किलोमीटर माना जाएगा एवं अंतिम किलोमीटर यान को बन्द करने के पश्चात् निगम कार्यालय तक का माना जाएगा।

प्रत्येक वाहन के उपयोग हेतु निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये चलान के आधार पर होगा। जिसमें प्रतिदिन इस्तेमाल किये जानेवाले किलोमीटर उल्लेखित होगा तथा वाहन का उपयोग करनेवाले पदाधिकारी के द्वारा उसपर प्रतिदिन हस्ताक्षर प्राप्त करने का दायित्व संबंधित वाहन के आपूर्तिकर्ता का होगा।

6. निविदादाता द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा यान पर प्रतिनियोजित चालक के द्वारा निगम द्वारा उपलब्ध लॉगबुक में प्रारम्भिक किलोमीटर एवं अंतिम किलोमीटर/ समय अंकित करते हुए भरा जाएगा एवं हस्ताक्षर अंकित करके निगम के प्रतिनिधि से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा।
7. निगम द्वारा निविदादाता को प्रतिदिन निर्धारित अवधि के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में यान का संचालन निर्धारित समय सीमा के बाद भी एक-दो घंटे अतिरिक्त चलने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
8. निविदादाता को प्रतिदिन नियमित रूप से निर्धारित समय पर बिना चूक के बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के कार्यालय में यान उपलब्ध करायेंगे एवं निगम के प्रतिनिधि के निदेशानुसार संबंधित स्थान/ कार्यालय पर यान प्रतिनियोजित करेंगे।
9. निविदादाता द्वारा किसी भी परिस्थिति में नियमित संचालन को वाधित नहीं किया जाएगा। वाधित होने की स्थिति में निगम द्वारा एक दिन का किराया दंड स्वरूप वसूला जायेगा।
10. यदि निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का डिफॉल्टर अथवा गलत कार्यो हेतु आरोपित होते हैं तो वैसी स्थिति में निगम अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा :-

क. निविदादाता अर्थात् लाइसेंसधारी का लाइसेंस निगम अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रद्द कर देगा।

ख. निगम अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा निविदादाता के द्वारा निगम के पास जमा गारंटी राशि को जप्त कर लेगा।

ग. नोटिस अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनः निगम द्वारा नये सिरे से निविदा निकालकर अथवा नये प्रक्रियाओं के माध्यम से किये गये बन्दोबस्ती अवधि के लिए देय लाइसेंस की राशि की वसूली निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी से की जायेगी।

घ. निगम अर्थात बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, द्वारा निविदादाता अर्थात लाइसेंस धारी को ब्लैकलिस्ट कर देगा एवं निगम द्वारा निकाले गये किसी निविदा में भाग लेने नहीं देगा।

11. निविदादाता द्वारा प्रतिनियोजित यान का ऑनरबुक, फिटनेस, चालक का लाइसेंस, वीमा आदि अद्यतन रखना अनिवार्य होगा। इसके बिना प्रतिनियोजित यान को निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही गाड़ी संचालन के पूर्व सभी अद्यतन कागजात की प्रति छाया कॉपी निविदादाता द्वारा निगम को जमा की जाएगी।
12. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए यान पर प्रतिनियोजित चालक को उजला सफारी एवं उजला कैप पहन कर यान संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. प्रतिनियोजित यान में साफ तौलिया, यान का पूर्ण सफाईयुक्त रखने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। प्रतिनियोजित यान नई एवं यांत्रिकरूप से दुरुस्त एवं अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यान संचालन के लिए प्रतिनियोजित चालक मृदुभाषी, व्यवहारिक एवं समयवद्ध एवं साफ सुथरा पोषाक में होना एवं अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए।
14. सफल निविदादाता की अग्रधन की राशि रूपये पटना के लिए रु० 15,000=00 (पन्द्रह हजार रु०) जमानत की राशि (Security Deposit) के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। जिसपर किसी भी प्रकार का सूद निगम द्वारा निविदादाता को देय नहीं होगा।
15. निविदादाता द्वारा प्रतिनियोजित यान यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सूचना प्राप्ति के एक घंटा के अंदर दूसरा यान निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर निविदादाता द्वारा दूसरी वाहन का प्रतिनियोजन नहीं करने के स्थिति में 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ) रूपये प्रति घंटा की दर से दंड वसुला जायेगा।
16. ऑफरदाता (एजेंसी एवं फर्म) निगम के निर्धारित दर (सर्विस टैक्स की राशि छोड़कर) पर न्यूनतम 20 प्रतिशत का कमीशन निगम को भुगतान करेंगे।
17. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए यान पर प्रतिनियोजित चालक की मजदूरी का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की संवैधानिक कटौती एवं जमा राशि की जिम्मेवारी ऑफरदाता की होगी।
18. वाहन का प्रतिनियोजन बिहार राज्य के अन्तर्गत एवं बिहार राज्य से बाहर बुकिंग के आधार पर भेजा जा सकता है। अतः वाहन सभी दृष्टीकोण से तैयार रहे।
19. गाड़ी संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार के खर्च (चालक का पारिश्रमिक, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, मरम्मत ऑनर बुक रजिस्ट्रेशन, Insurance, Road Tax, Fitness एवं अन्य संबंधित खर्च आदि का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा। सभी संवैधानिक करों का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा। निविदा की अवधि कुल 3 (तीन) वर्षों के लिए अनुबंधित किया जायेगा। जिसमें तीन वर्ष नियमित रूप से तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन के अनुसार एक-एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्य कलापों की समीक्षा के उपरान्त आगे की वर्षों के लिए अवधि का विस्तारित किया जायेगा।
20. यदि कोई एजेंसी वाहन बंद करना चाहेंगे, तो उसे तीन माह पूर्व निगम को सूचना देनी होगी।

21. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित सम्पदा के संचालन के निमित्त रखे गये कार्मिक निगम के कार्मिक नहीं कहलायेगें निविदादाता को यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधिनस्थ रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित आर्हताये पूरा करेंगे। इसकी पुरी जबाबदेही निविदादाता की ही होगी।  
निविदादाता श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जबाबदेही निविदादाता की होगी।
22. निगम बिना कोई कारण बताये अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा जिसके लिए निगम द्वारा अनुज्ञप्ति की समानुपातिक राशि या सभी वसूलनीय राशि का समायोजन के पश्चात निविदादाता को लौटा दिया जायेगा।
23. निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी द्वारा लाइसेंस के एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन करना पड़ेगा।
24. निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी के द्वारा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किये गये वर्णित यानों के संचालन हेतु लाइसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजा भुगता होने की जानकारी मिलने पर, निगम अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के द्वारा निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी को कारण बताओ सूचना के उपरान्त लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी के द्वारा जमा किये गये सिक्यूरिटी डिपोजिट भी जप्त कर लिया जायेगा।
25. निगम अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, निविदादाता से किसी भी प्रकार का पत्राचार उपरोक्त पते पर ही करेगी। निविदादाता द्वारा पता बदले जाने की स्थिति में निविदादाता, निगम को निश्चित रूप से लिखित सूचना देगी। अन्यथा इसके अभाव में " DUE COMMUNICATION" समझा जायेगा।
26. तकनीकी रूप से सफल पाये गये निविदादाताओं से प्राप्त न्यूनतम वित्तीय दर पर उनकी सहमति प्राप्त होने पर इन्पैनल्ड किया जा सकेगा।
27. निगम अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० अर्थात् लाइसेंस कर्ता एवं निविदादाता अर्थात् लाइसेंस धारी के बीच किसी प्रकार के विवाद एवं मतभेद की अवस्था में प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, पटना आरविट्रेटर होंगे। उनका निर्णय निगम एवं निविदादाता को मान्य होगा।

.....

वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत फर्म/ट्रैवल एजेंसी / टूर ऑपरेटर के माध्यम से (गाड़ी, तेल, ड्राइवर अन्य सभी खर्च एवं सभी कर सहित) भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र

**प्रपत्र – I**  
**तकनिकी निविदा का प्रपत्र**

1	संस्था का नाम एवं पता (जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है)	
2	आवेदक का नाम	
3	पिता का नाम	
4	वर्तमान पता एवं स्थाई पता (दूरभाष सहित) (नोट-कृपया आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें) (आवासीय पता का प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड की छाया प्रति, चुनाव आयोग का निबंधन कार्ड की छायाप्रति, ड्राइवींग लाइसेंस की छाया प्रति या अन्य प्रमाण पत्र)	
5	अनुभव आदि के संबंध में सूचनाएँ (इस कॉलम में ऑफरकर्ता छोटी गाड़ी के संचालन के संबंध में अपने अनुभव, दक्षता एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ दे सकते हैं।)	
6	अर्नेस्ट मनी राशि की विवरणी In case of Tender documents downloaded, details of D.D.	बैंक डाफ्ट/बैंकर्स चेक न0..... Cost of Tender Documents .....
7	for cost of tender documents.	दिनांक-..... अंकों में- ..... शब्दों में- .....
8	आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेख /प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संबंधित जिलाधिकारी / पुलिस अधिक्षक / अनुमंडलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र</li> <li>➤ आवेदक की आर्थिक सुदृढता से मूल्यांकन हेतु बैंकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र</li> <li>➤ वाहनों का विधिवत् प्राधिकार पत्र               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ऑनर बुक</li> <li>2. टैक्स टोकन बीमा के कागजात</li> <li>3. विधीमान्य परमीट की अभिप्रमाणित प्रति।</li> </ol> </li> <li>➤ निविदादाता के फर्म/एजेन्सी के नाम से पंजीकृत सर्विस टैक्स एवं पैन नम्बर के कागजात की अभि प्रमाणित प्रति।</li> <li>➤ निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का Audited Balance sheet की अभि प्रमाणित प्रति।</li> </ul>

		➤ निविदादाता के वाहनों के संचालन के लिए प्रतिनियोजन किए जाने वाले चालक के लाइसेंस की छायाप्रति तथा चालक का मोबाईल संख्या।
9		➤ भविष्य में निविदादाता द्वारा वाहनों के संचालन क्रम में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो निगम द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए काली सूची में डाल दी जायेगी।
10		➤ Shop & Establishment Act से संस्था Registered हो की छाया प्रति।
11		➤ Income Tax Return विगत तीन वर्षों की छाया प्रति।

8. निम्नलिखित प्रपत्र में वाणिज्यिक निबंधित ए0सी0 वाहनों की सूची दिया जाना है:-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	निबंधन संख्या	वाणिज्यिक / गैर वाणिज्यिक	वाहन क्षमता	टैक्स टोकन नं0 एवं वैधता	बीमा की वैधता	परमीट संख्या
I.	इंडिका							
II.	स्कारपिओ							
III.	सफारी							
IV.	इनोवा							
V.	हुन्दई वरना							
VI.	हुन्दई एलान्टा							
VII.	हुन्दई सोनाटा							
VIII.	टोयोटा एटिओस							
IX.	इंडिगो							
X.	एस्कोडा रैपिड							
XI.	एस्कोडा सुपर्व							
XII.	एस्कोडा ऑक्टीवा							
XIII.	फॉक्सवैगन वेन्टो							
XIV.	फॉक्सवैगन पसाट							
XV.	लैन क्रूजर							

XVI.	रेनॉल्ट डस्टर							
XVII.	होन्डासिटी							
XVIII.	पजेरो							
XIX.	टोयोटा फॉरचुनर							
XX.	मर्सिडीज एस क्लास							
XXI.	फोर्ड इंडिवर							
XXII.	फोर्ड फिएस्टा							
XXIII.	सेवरलेट							
XXIV.	होन्डा अमेज							
XXV.	मारुती स्वीफ्ट डिजायर							
XXVI.	अन्य वाहन (वाहन का प्रकार लिखें)							

#### आवेदक की अण्डरटेकिंग :

- मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्तों अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर



वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत फर्म/ट्रैवल एजेंसी / टूर ऑपरेटर के माध्यम से (गाड़ी, तेल, ड्राइवर अन्य सभी खर्च एवं सभी कर सहित) भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र

**प्रपत्र – II**  
**वित्तीय निविदा का प्रपत्र**

1	संस्था का नाम एवं पता	
2	आवेदक का नाम	
3	पिता का नाम	
4	वर्तमान पता एवं स्थाई पता (दूरभाष सहित)	
5	कमीशन / छूट की राशि (प्रतिशत में) अंक एवं अक्षरों में अंकित किया जाना है।	

**आवेदक की अण्डरटेकिंग :**

- मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्तों अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

**आवेदक का हस्ताक्षर**